भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी/सी ई-I/1/2004

सं. 95/सी ई I/सी टी/24 नई दिल्ली, दिनांक : 12.1.04

संलग्न सूची के अनुसार

विषय : सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति.

संदर्भ : बोर्ड का 14.11.96 का पत्र सं. 95/सी ई I/सी टी/24

बोर्ड के 14.11.96 के समसंख्यक पत्र के क्रम में, बोर्ड ने मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क पर आगे विनिश्चय किया है.

सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति हेतु मार्ग निर्देश एवं उन्हें भुगतान किए जाने वाले शुल्क अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न हैं. बोर्ड के उपर्युक्त पत्र द्वारा इस विषय पर जारी पूर्ववर्ती अनुदेश भी अनुबंध 'ख' के रूप में संलग्न हैं.

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

संलग्नक: यथोक्त.

प्रमोद कुमार

(प्रमोद कुमार)

कार्यपालक निदेशक, सिविल इंजी. (सा.)

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि बोर्ड कार्यालय के विधि कक्ष एवं वित्त (व्यय)-I शाखा को प्रेषित.